विश्वभारती, शांतिनिकेतन
राजभाषा प्रकोष्ठ

<u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक</u>

पत्रांक : राभाकास/वि.भा.प्र./09/2023–24/ **दिनांक : 12.05.2023**

विषय : दिनांक 10.05.2023 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का कार्यवृत।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 10.05.2023 को दोपहर 12:00 बजे सम्मेलन कक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक भवन, विश्वभारती में आयोजित की गई। प्रो. शकुंतला मिश्र, हिंदी–भवन, विश्वभारती ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है।

बैठक के आरंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ की प्रभारी महोदया प्रो. शकुंतला मिश्र ने उपस्थित विभागों/कार्यालयों के प्रतिनिधि का स्वागत किया। प्रो. शकुंतला मिश्र ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर भारी चिंता व्यक्त करते हुए सभी विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया कि समय पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजे जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्री गोपाल कुमार, हिंदी अधिकारी ने विश्वभारती के कार्यालयों/विभागों आदि से तिमाही प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र सभी विभागों को पुनः भेजने, साईन बोर्ड त्रिभाषी, रबड़ मुहरें द्विभाषी किए जाने पर बल दिया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी विषय पर अध्यक्ष महोदया प्रो. शकुंतला मिश्र ने चिंता व्यक्त करते हुए इस विषय को गंभीरता से लिया। उन्होंने पाठ भवन और शिक्षा सत्र को मिलाकर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात कही। उक्त प्रतियोगिता में विजेता को पुरस्कार भी प्रदान किए जाने की बात कहे। श्री गोपाल कुमार के वक्तव्य से सहमत होकर अध्यक्ष महोदया ने राजभाषा कार्यान्वयन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विश्वभारती के सभी विभाग/कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा प्रकोष्ठ को अपना पूरा सहयोग दें एवं राजभाषा प्रकोष्ठ से मांगे जानेवाले तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराएं तभी राजभाषा प्रकोष्ठ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को विश्वभारती में चल रहे राजभाषा के कार्य का सही आंकड़ा दे सकेगा। हिंदी अधिकारी ने राजभाषा नियम 8 (4) के तहत प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों को अपना ज्यादा से ज्यादा कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के सुझाव दिए। निमाई चंद साहा, पुस्तकालय अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई/निर्णय लिए गए :–

1. पिछली बैठक की पुष्टि – बैठक में उपस्थित कार्यालय अध्यक्ष ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की पुष्टि की।
2. बैठक की अध्यक्ष प्रो. शकुंतला मिश्र ने कहा कि चूँकि बंगाल 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए कार्यालयीन कार्य हिंदी में कम–से–कम 55 प्रतिशत होना चाहिए।
3. श्री गोपाल कुमार ने यह सुझाव दिया कि नियमानुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दें।

4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन – राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा विभागों से मांगी गई तिमाही रिपोर्ट के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अतः इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
5. हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण – राजभाषा प्रकोष्ठ, विश्वभारती की ओर से प्रत्येक तिमाही में सभी विभागाध्यक्षों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मांगी जाती हैं पर रिपोर्ट कुछ ही विभागों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अनुस्मारक भी भेजे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजभाषा प्रकोष्ठ को सभी विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है।
6. पत्राचार प्रतिशत – विभागों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण पत्राचार प्रतिशत के आकड़े उपलब्ध नहीं है।
7. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर – राजभाषा नियम 5 के तहत यह प्रावधान है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दें, अगर कोई कार्यालय हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में नहीं दे पा रहे हैं तो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिक या राजभाषा प्रकोष्ठ से सहायता लेकर उसका जवाब हिंदी में देना सुनिश्चित करें।
8. वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा – विश्वभारती में हिंदी में पत्राचार न्यूनतम 55 प्रतिशत होना चाहिए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।
9. जाँच बिंदु – भवन/केंद्र के अध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अधीन कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
10. हिंदी में कार्य – हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नियम 8(4) के तहत पूर्व में व्यक्तिशः आदेश भी जारी किए गए हैं।

बैठक का समापन श्री गोपाल कुमार, हिंदी अधिकारी, विश्वभारती के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

शांमित्र 15/05/2023
प्रभारी, राजभाषा प्रकोष्ठ
विश्वभारती, शांतिनिकेतन

वितरण

1. समिति के सभी सदस्य कार्यालयों के प्रधान।
2. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1.	प्रो. शकुंतला मिश्र	हिंदी विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : mishraskt@gmail.com मो. 9832172393
2.	श्रीमती सबिता प्रधान	अध्यक्ष, भाषा भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : sabitapradhan157@gmail.com मो. 9434634230
3.	बोधिरूपा सिंह	पाठ भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : bodhirupa@gmail.com मो. 9434634409
4.	तमाली मजुमदार	शिक्षा सत्र, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : tamali.oct24@gmail.com मो. 9434375626 / 9735945761
5.	श्री रार्कस कुंडू	शिक्षा भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : viceprincipal.sb@visva-bharati.ac.in मो. 9434304259
6.	श्री निमाई साहा	पुस्तकाध्यक्ष, केंद्रीय पुस्तकालय, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : ncsaha.72@gmail.com मो. 9434546031
7.	श्री वाई वासुदेव राव	पल्ली शिक्षा भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : yvrao31@gmail.com मो. 9475983931
8.	श्री संजय कुमार मल्लिक	अध्यक्ष, कला भवन, विश्वभारती ई–मेल : sanjoykumar.mallik@visva-bharati.ac.in मो. : 9679838999 / 9474413685
9.	डॉ. अरिंदम चटर्जी	पी.एम. हॉस्पिटल, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : inchargecmo@visva-bharati.ac.in मो. : 9474309081
10.	डॉ. शुभ्रांशु सॉंतरा	पी. एस. वी., विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : ssantrarec@gmail.com मो. : 7001405641
11.	श्री प्रसेनजित साहा	विद्या भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : prosenjit.saha@visva-bharati.ac.in मो. : 9474634333
12.	श्री अमरेन्द्र कुमार	इतिहास विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : amarendra.kumar@visva-bharati.ac.in मो. : 8900441061
13.	श्री गोपाल कुमार हिंदी अधिकारी	राजभाषा प्रकोष्ठ, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ई–मेल : rajbhasha@visva-bharati.ac.in मो. 9932824117
14.	श्री राजेश कु. साव हिंदी अनुवादक	राजभाषा प्रकोष्ठ, विश्वभारती, शांतिनिकेतन
15.	श्री विरेन्द्र कुमार हिंदी टंकक	राजभाषा प्रकोष्ठ, विश्वभारती, शांतिनिकेतन